

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
फर्द अहकाम

बउनवानी

भरत लाल

बनाम

रामनाथ वर्मा

किस्म प्रकरण- रेस्टोरेशन प्रा.पत्र

प्रकरण संख्या 9 / 2023

जीसीएमएस संख्या 2023/29

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता.अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
16.7.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील अप्रार्थी द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की गयी है। बाद समाअत बहस प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल प्रकरण को पुनः सुनवायी हेतु नम्बर पर लिया जाता है। अतः मूल प्रकरण की पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल प्रकरण की मिसल के साथ हमफीता की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;">(काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>	

